


उपखण्ड अधिकारी माण्डल

2
23

पत्रावली पेश हुई वकील जायगीण उपस्थित विपक्षीगण
+ लगायत 10, 13, 16, 18, 19, 24 के सम्मन बाद तामिल लेकर
जाए हुए जिले शाप किये गये। विपक्षीगण 11, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 23
के बिकट वकील जायगीण के कार्यवाही नहीं चाहते हैं। विपक्षीगण
को कितनी बार रुक-रुक कर आवाजे डिलायी जाने के बाद भी
उपस्थित नहीं, इनके बिकट एक तरफा कार्यवाही किये जाने के
आदेश दिये जाते हैं। वकील जायगीण का प्रापत्र स्वीकार
किया जाकर अनिय प्रपत्र से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर
से कम है।

शीलर


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज०)

रीख
ी इस
ामील
हुए

अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर०ए०एस०)

संख्या- 194/22 प्रपत्र

श्री ~~नारायण~~ चन्द्र शंकराग शास्त्र निवासी. माण्डल तहसील. माण्डल [वर्ग 1]
(सिद्धांकिन प्रपत्र रा.रा.रा.)

-प्रार्थी

वनाम

श्रीमती नारायणी शंकरलाल शं. भोगीलाल गाडरी निवासी- गाडरी मोहल्ला
माण्डल तहसील (सिद्धांकिन प्रपत्र रा.रा.रा.)
(वर्ग 1)

-विपक्षीयण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक :- 07-02-23

::आदेश::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन
विश्राम ~~माण्डल~~ पटवार हल्का ~~माण्डल~~ तहसील माण्डल में उसके
संयुक्त खाते की आराजी नं. 8233, 8236, 8237, 8238 कुल किता 0.8 रकबा 2.6646
स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये
सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की
गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.9.22 को पंजीकृत किया जाकर प्रकरण को
कनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी कराने का
मसौदा है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते
न्यायिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ~~माण्डल~~ पटवार
~~माण्डल~~ तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 8233, 8236, 8237, 8238,
किता 0.8 रकबा 2.6646 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्तगी जिनकी
जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू-अभिलेख
धारा ~~माण्डल~~ को 1200/- रूपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने
पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील सिन्दु को आधार
कर पत्थरगद्दी की जावें। फरसल खड़ी होने पर पत्थरगद्दी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा

विलिपि- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा